


न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

74



आ.प्र. - 2142 - II/18

निगरानी प्रकरण क्रमांक-...../2015-16

भारत प्रसाद वर्मा तनय स्व. अनन्दे कहार उम्र-60 साल निवासी ग्राम-लोनहा तहसील चुरहट जिला-सीधी (म.प्र.)आवेदक

बनाम

1. रामकुमार साकेत | दोनों पिता स्व. सतई साकेत
2. रामबहोर साकेत
3. मुस. सुखरजुआ साकेत पति स्व. गोविन्द साकेत
4. श्यामलाल साकेत पिता स्व. गोविन्द साकेत

सभी निवासी ग्राम-लोनहा थाना कमर्जी तहसील चुरहट जिला-सीधी (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक मण्डल चुरहट तहसील चुरहट जिला-सीधी (म.प्र.) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-23/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक-24.09.2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षणगण प्रस्तुत है:-

1. यह कि प्रस्तुत की जा रही निगरानी के निराकरण हेतु प्रश्नगत सीमांकन के प्रासंगिक तथ्यों का विवरण निवेदित किया जाना आवश्यक है जो इस तरह है कि:-

(ए) यह कि दिनांक-17.08.2015 को अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक


प्रस्तुत करी
अभि. 0 अ
वर्ष 3 अ
2/2/16

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक: त्रिगु. 472/11/16 ... जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	<p>प्रकरण में आवेदक के विद्वान अपिष्यता के तर्क सुने गए तथा सुसंगत दस्तावेजों की दायप्रतियों का परिशीलन किया गया।</p> <p>इसके आधार पर पाया जाता है कि विधायकित भूमि, जिसपर आवेदक का अर्जकक्षा पत्रा गया है, शासन के नाम दर्ज है और आवेदक के पत्र में उसका पट्ट नहीं है।</p> <p>चूंकि यह प्रकरण सीमांकन से संबंधित है, अतः यदि आवेदक को अपने कर्जों के आधार पर पट्ट प्राप्त करने की या कोई अन्य कार्यवाही करनी हो, तो वह उसे प्रथम से करनी होगी।</p> <p>सीमांकन की कार्यवाही राजस्व अभिलेखों में विद्यमान प्रविष्टियों के आधार पर की जा रही है।</p> <p>अपेक्ष के प्रकाश में यह निगरानी आवेदन अंग्राह्य किया जाता है।</p> <p>ओकेर परितः पत्रकार सूचित हो।</p> <p>प्रकरण समाप्त। का. द. हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सदस्य) </p>	